

NIIT Limited

Registered Office: Plot No 85, Sector 32, Institutional Area, Gurugram 122 001, (Haryana) India Tel:+91 (124) 4293000 Fax:+91 (124) 4293333 Email: info@niit.com

CIN: L74899HR1981PLC107123

www.niit.com

August 24, 2024

The Manager
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400 001

The Manager National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E),Mumbai – 400 051

Subject: <u>Submission of copies of newspaper advertisements regarding intimation of 41st Annual General Meeting to be held on September 24, 2024</u>

Scrip Code: BSE - 500304; NSE - NIITLTD

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisements published by the Company in the newspapers i.e. Financial Express (English Language) and Jansatta (Hindi Regional Language) on August 24, 2024 regarding intimation of 41st Annual General Meeting of the Company to be held on September 24, 2024 through VC / OAVM.

This is for your information and records.

Thanking you, Yours sincerely, For NIIT Limited

Arpita Malhotra
Company Secretary &
Compliance Officer

Encls: a/a

FINANCIAL EXPRESS

Public Notice

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN This is to inform the General Public that following share certificate of (name of Company) Eicher Motors

Limited having it's Registered Office at: - 3rd Floor - Select Citywalk, A-3 District Centre, Saket, New Delhi, Delhi, 110017. Registered in the name of the: - Aleftya E Faizullabhoy Jtly with Abeezar E Faizullabhoy

Following Shareholder/s have been lost by them.

Sr. No.	Name of the Shareholder/s	Folio No.	Certificate No.	Distinctive Number/s	Total Number of Shares & Face Value
1,	Alefiya E Faizullabhoy Abeezar E Faizullabhoy	0046643	22499	2248001 - 2248100	100 Equity Shares in 10/- Paid Up

Company to release the new certificate. The Company has informed the holders / applicants that the said shares have been transferred to IEPF as per IEPF Rules. Any person who has any claim in respect of the said share certificate's should lodge such claim with the

Company or its Registrar and Transfer Agents Link Intime India Pvt. Ltd, Address:-C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra, 400083 within 15 days of publication of this notice after which no daim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s. Place: Mumbai Alefiya E Faizullabhoy Jtly with Abeezar E Faizullabhoy

Date: 24.08.2024

Name of Shareholder

NIIT

NIIT Limited Registered Office: Plot No. 85, Sector 32,

NOTICE OF 415T ANNUAL GENERAL MEETING

Institutional Area, Gurugram - 122001, Haryana CIN: L74899HR1981PLC107123 Phone: +91 (124) 4293000; Website: www.niit.com; E-mail: investors@niit.com

The 41" Annual General Meeting ('AGM') of the members of NIIT Limited ('the Company' will be held through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Mode ('OAVM') or Fuesday, September 24, 2024 at 2:00 P.M. (IST) to transact the business as set out it he Notice convening the AGM. The AGM shall be in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as 'the Circulars') allowing the companies to hold the AGM through VC/OAVM without the physical presence of members at a common venue. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the Circulars, the AGM Notice Standalone and Consolidated Financial Statements for the financial year ended on March 31, 2024, Board's Report, Auditors' Reports, and other documents required to be attached thereto shall be sent to the members of the Company in electronic mode whose email addresses are egistered with the Depository Participant(s). The aforesaid documents shall also be available on the Company's website at www.nit.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited a www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

The Company shall be providing facility to its members to cast their votes remotely using the electronic voting system ('remote e-voting'), for participation at the AGM through VC / OAVM facility and remote e-voting during the AGM through Nationa Securities Depositories Limited ('NSDL'). Notice of the AGM shall include procedure instruction(s) for attending AGM through VC/OAVM, remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses. The details will also be available on the website of the Company at www.niit.com and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members whose email addresses are not registered with the Depository Participant(s), may obtain/generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM. Members of the Company under the category of Institutional Shareholders are encouraged to attend and participate in the AGM through VC/QAVM and vote through remote e-voting. The Members participating in the AGM through VC/OAVM facility shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM, if not voted through remote e-voting

The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Tuesday, September 17, 2024, shall be entitled to cast ote by remote e-voting or attend the meeting through VC/OAVM and cast vote at AGM The remote e-voting period shall commence on Thursday, September 19, 2024 (9:00 A.M.) and end on Monday, September 23, 2024 (5:00 P.M.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member through remote e-voting, it cannot be changed. In case of voting by emote e-voting and also e-voting at the AGM, vote cast through remote e-voting will be considered final and e-voting at the AGM will not be considered.

Mr. Nityanand Singh, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 2668; CP 2388) or failing him, Mr. Mohit Bansal, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 11292, CP 16860) from M/s. Nityanand Singh & Co., have been appointed as the Scrutinizer(s) to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may egister themselves by sending request mentioning their name, demat account, email id, mobile number through their registered email to the Company at investors@niit.com. The Speaker Registration will be open till Tuesday, September 17, 2024. Member(s) holding share(s) as on the cut-off date shall be entitled to register and participate in

Members having any query or seeking any information are requested to write /send email to the Company at least seven days in advance of AGM at investors@niit.com Manner for registering/ updation of KYC/ email address/ bank details:

For members who hold shares in physical form, SEBI vide its Master Circular SEBI HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/70 dated May 17, 2023, as amended from time to time. has mandated furnishing of PAN linked with Aadhaar, KYC details (i.e., postal address with PIN code, e-mail address, mobile number, bank account details, etc.) and nomination by holders of securities. Further, effective from April 1, 2024 any payment of dividend shall only be made in electronic mode in respect of physical shareholders. The physical shareholders whose KYC is not updated in RTA/Company records; their dividend would be paid ONLY upon updation of KYC in the Physical Folio.

For members who hold shares in demat form, they should keep their bank details, e-mail address, postal address, contact number and nomination details updated in their dema account(s) maintained with Depository Participant(s) for electronic mode of payment of dividend.

Further, SEBI has mandated that securities of listed companies can be transferred only in demat form. To avail various benefits of dematerialization, members are advised to dematerialize shares held by them in physical form, for ease in portfolio management

Members may refer to SEBI Master Circular, relevant Investor Service Request Forms KYC forms and contact details for sending requisite forms/ documents at RTA/or

Information on Dividend/ Tax Deduction at source (TDS) / withholding tax: The Board of Directors at their meeting held on May 24, 2024 has recommended a final

dividend of Rs. 0.75/- per equity share for the financial year 2023-24. The dividend once approved at the AGM, will be paid to those members whose names will appear on the Register of Members or in records of the Depositories as beneficial owners of the shares as on Thursday, September 5, 2024. The final dividend, subject to approva of members at AGM, will be paid (after deduction of tax at source as applicable) within 30 days from the date of the AGM electronically to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details in the demat account, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent to their registered addresses. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their complete bank details with their depositories where shares are held in demat mode) and update with Company's Registrar and Fransfer Agent -Alankit Assignments Limited (where shares are held in physical form) by providing signed request letter with folio no., self-attested cancelled cheque leaf and copy of PAN to receive the dividend directly into their bank account.

Shareholders may note that the Income Tax Act, 1961, ('the IT Act') as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a company on or after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of shareholders. The Company shall therefore be required to deduct tax at source ('TDS') at the time of making the payment of final dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, shareholders are requested to submit relevant documents, as specified nereinbelow, in accordance with the provisions of the IT Act.

For Resident Shareholders, taxes shall be deducted at source under Section 194 of the Act, as follows:

Shareholders having valid Permanent | 10% or as notified by the Government of Accounting Number (PAN) India Shareholders not having PAN/ valid 20% or as notified by the Government of

However, no tax shall be deducted on the dividend payable to resident individual shareholders, if the total dividend to be received by them during Financial Year 2024-25 does not exceed Rs. 5,000/- and also in cases where shareholders provide Forr 15G/ Form 15H (Form 15H is applicable for resident individual shareholders aged 60

years or more) subject to conditions specified in the IT Act. Resident shareholders

may also submit any other document as prescribed under the IT Act to claim a lower.

Nil withholding of tax. PAN is mandatory for shareholders providing Form 15G/15H or any other document(s) as mentioned above. For Non-resident Shareholders, taxes are required to be withheld in accordance with the provisions of Section 195 and other applicable sections of the IT Act, at the rates in force. The withholding tax shall be at the rate of 20% (plus applicable surcharge and cess) or as notified by the Government of India on the amount of dividend payable. However, as per Section 90 of the IT Act, non-resident shareholders have the option to be governed by the provisions of the Double Tax Avoidance Agreement ('DTAA') read with Multilateral Instrument ("MLI") between India and the country of tax residence of the shareholder(s), if they are more beneficial to them. For this purpose, i.e. to avail

the benefits under the DTA read with MLI, non-resident shareholders will have to provide the following: Self-attested copy of PAN card allotted by the Indian Income Tax Authorities; Self-attested copy of Tax Residency Certificate for FY 2024-25 obtained from the

tax authorities of the country of which the shareholder(s) is a resident; Copy of duly filled Form 10F on Indian Income tax Portal. This form has to be filed on the Indian Income Tax Portal by registering through below mentioned link; https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/register

Self-declaration from Non-resident(s), primarily covering the following: Non-resident is eligible to claim the benefit of respective tax treaty;

Non-resident receiving the dividend income is the beneficial owner of such income Dividend income is not attributable/effectively connected to any Permanent

Establishment ('PE') or Fixed Base in India; Non-resident complies with any other condition prescribed in the relevant Tax

Treaty and provisions under the MLI: Non-resident does not have a place of effective management in India;

n case of Foreign Institutional Investors/Foreign Portfolio Investors, tax will be deducted under Section 196D of the IT Act @ 20% (plus applicable surcharge and cess) or rate provided in relevant DTAA read with MLI, whichever is more beneficial subject to the submission of the above documents.

This notice is being issued for the information and benefit of all the shareholders of the Company in compliance with the Circulars.

By Order of the Board Place: Gurugram Date: August 23, 2024

For NIIT Limited Arpita Bisaria Malhotra Company Secretary



GLOBAL HEALTH LIMITED

CIN: L85110DL2004PLC128319

Regd. Office: Medanta - Mediclinic, E-18, Defence Colony, New Delhi -110 024 Corporate Office: Medanta - The Medicity, Sector - 38, Gurugram, Haryana - 122 001 Tel: +91 124 483 4060; E-mail: compliance@medanta.org; Website: https://www.medanta.org

NOTICE TO THE MEMBERS OF 20TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Global Health Limited ('Company') will be held on Thursday, September 19, 2024 at 12 Noon through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'), to transact the business(es) as set out in the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 ('Act').

In compliance with all the applicable provisions of the Act and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 9/2023 dated September 25, 2023 respectively (collectively referred to as ('MCA Circulars') and SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October, 07, 2023, ('SEBI Circulars'), the Notice of 20th AGM and Annual Report for the Financial Year ('FY') 2023-24 has been sent only through electronic mode, to those Members of the Company, whose e-mail addresses are registered with the Company or Company's Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') or their Depository Participants ('DPs') as on Friday, August 16, 2024. The electronic dispatch of Annual Report and AGM Notice to the Members has been completed on Friday, August 23, 2024.

The copy of AGM Notice along with the Annual Report for the FY 2023-24, shall also be available on the website of the Company at https://www.medanta.org/investor-relation/, on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at https://www.bseindia.com/index.html and https://www.nseindia.com/, respectively, and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com/.

In compliance with Section 108 of the Act read with applicable rules, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide the facility of NSDL, to the Members to exercise their right to vote on the resolutions set out in Notice, by remote e-voting as well as by e-voting during AGM. Detailed Procedure for remote e-voting/e-voting and participation in AGM through VC/OAVM has been provided in the Notice of AGM.

Members whose names are recorded in the Register of Members maintained by the Depositories/ RTA as on Thursday, September 12, 2024 ('Cut-off Date'), shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. The voting rights of Member(s) shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. The remote e-voting will commence on Sunday, September 15, 2024 at 9:00 A.M (IST) and will ends on Wednesday, September 18, 2024 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for e-voting thereafter. The Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

Members, who have acquired shares after the dispatch of Annual Report and AGM Notice through electronic means and holding shares as on the Cut-off Date i.e. Thursday, September 12, 2024, may obtain the USER ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.com, to cast their votes through remote E-voting or e-voting at the Meeting and follow the instructions provided in the AGM Notice. However, if a Member is already registered with NSDL for remote e-voting, then the Member may use their existing USER ID and Password, and cast their vote.

Members holding shares in demat form and who have not yet registered their email addresses are requested to register their email address and mobile numbers with their Depository Participants.

In case of any queries or issues regarding attending the AGM through VC/OAVM or remote e-voting, Members may write to the Company at compliance@medanta.org. Members can also refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on Nos. 022 4886 7000 and 022 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager, Trade World 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at evoting@nsdl.com.

For Global Health Limited

Date: August 23, 2024

Place: Gurugram

Rahul Ranjan Company Secretary & Compliance Officer



ICICI SECURITIES LIMITED CIN: L67120MH1995PLC086241

Registered Office: ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025

Tel.: + 91 22 6807 7100; Fax: + 91 22 6807 7803 Website: www.icicisecurities.com; E-mail: investors@icicisecurities.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE TWENTY-NINTH ANNUAL GENERAL MEETING

- NOTICE is hereby given that the Twenty-Ninth Annual General Meeting ('AGM') of ICICI Securities Limited ('the Company') will be held on Thursday, September 19, 2024 at 4:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") at the Registered Office of the Company at ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025 (deemed venue of AGM), to transact the business that will be as set out in the Notice of the Twenty-Ninth AGM.
- The Ministry of Corporate Affairs ('MCA') has vide its General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023. read with General Circular Nos. 10/2022 dated December 28, 2022, 2/2022 dated May 5, 2022, 02/2021 dated January 13, 2021, 20/2020 dated May 5, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 14/2020 dated April 8, 2020 ('MCA Circulars') permitted holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circulars and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.
- In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 read with SEBI Master circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/ CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and any other applicable SEBI circulars issued in this regard ('SEBI Circulars'), the Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 ('Annual Report') will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent/Depositories. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.icicisecurities.com, website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com and websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com. In terms of the above referred SEBI Circulars, the Members desirous of obtaining the hard copy of the Annual Report may send request from their registered e-mail address mentioning their name, DPID and Client ID/folio number and PAN at investors@icicisecurities.com/IR@icicisecurities.com.
- The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting the vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice. Members attending through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act. 2013.
- The facility of casting votes by a Member using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting') as well as voting during the Meeting will be provided by NSDL. Detailed procedure for voting is provided in the Notice of the AGM.
- If your e-mail ID is already registered with the Company/Registrar & Transfer Agent/Depositories, login details for e-voting are being sent on your registered e-mail ID.
- Process for obtaining User ID and Password/AGM Notice and Annual Report for those Members whose e-mail ids are not registered:
 - In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name and address of shareholder, e-mail id, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of Aadhaar Card by e-mail to investors@icicisecurities.com or einward.ris@kfintech.com.
- II. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, self-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of Aadhaar Card to investors@icicisecurities.com.
- Password by providing the details mentioned in Point (I) or (II) as the case may be.

III. Alternatively, Member may send an e-mail request to evoting@nsdl.com for obtaining User ID and

- 8. Members who have not registered/updated their e-mail address with KFin Technologies Limited ("KFINTECH/R&TA")/Company may write to einward.ris@kfintech.com, if shares are held in physical mode or with their Depository Participants ('DPs'), if shares are held in electronic mode, for receiving all future communications from the Company including Annual Reports, Notices, Circulars, etc., electronically.
- 9. Members holding shares in dematerialised mode are requested to intimate all changes pertaining to their bank details, ECS mandates, e-mail addresses, nominations, power of attorney, change of address/name, etc., to their DPs only and not to the Company or R&TA. Any such changes effected by the DPs will automatically reflect in For ICICI Securities Limited the Company's subsequent records.

Raju Nanwani Company Secretary FCS 4785

GUJARAT LEASE FINANCING LTD. (CIN: L65990GJ1983PLC006345)

Regd. Office: 6th Floor, Hasubhai Chambers, Opp. Town Hall, Ellisbridge, Ahmedabad - 380006 (Gujarat), India

Phone: +91 79 2657 5722 / 2657 5180, Fax: +91 79 2657 5180 Website: www.gujaratleasefinancing.co.in, Email: glflho_ahm@yahoo.co.in

NOTICE OF 41ST ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM")

NOTICE is hereby given that 41st AGM of the Members of the Company will be held on Tuesday, September 17, 2024 at 11:30 am IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 ("the Act"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circulars dated May 05, 2020, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 (collectively referred as "the MCA Circulars").

In accordance with the MCA Circulars and SEBI circular dated October 07, 2023, Notice of the AGM alongwith Annual Report for Financial Year 2023-24, inter-alia, including the remote e-voting instructions, has been e-mailed to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / with the Depository Participants ("DP") on August 23, 2024. The same are also available on the websites of the Company: www.gujaratleasefinancing.co.in , the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and MCA Circulars, the Company is providing the e-voting facility through CDSL to the Members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 10, 2024 to exercise their right to vote by using remote e-voting and e-voting during AGM on any or all of the businesses specified in the Notice of AGM. Detailed instructions for remote e-voting facility and e-voting during the AGM are forming part of the Notice of AGM. The remote e-voting period begins on Friday, September 13, 2024 at 9:00 am and shall end on

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration)

Monday, September 16, 2024 at 5:00 pm. Remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not casted their votes on the businesses through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM. Members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM through

may cast their votes by following the instructions of remote e-voting and e-voting during the AGM as mentioned in the Note No. 23 and 24 of the Notice of AGM. In case the Members' have not registered their Email address and/or bank account details with the Company / DP

VC / OAVM but shall not be entitled to cast their votes again. Any persons who have acquired shares and become

Member of the Company after sending of Notice of AGM electronically and holding shares as on the cut-off date

Dematerialized For any kind of updation, the Member may contact their DPs. Holding Register/Update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Physical Holding Registrar and Transfer Agents (RTA) of the Company i.e. MCS Share Transfer Agent Limited. The Forms are available on website of the Company / RTA.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL.

Login through	Helpdesk details				
CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk evoting@cdslindia.com or contact at 1800 22 55 33.				
NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022-4886 7000 and 022-2499 7000.				

In case of any queries or issues regarding e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual available at www.evotingindia.com under help section or write as email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 22 55 33.

> By order of the Board For Gujarat Lease Financing Limited

Date : August 24, 2024

Place: Ahmedabad

may follow the process detailed below for registration:

Parag Dave Company Secretary



CIN: L24234KA1978PLC003417

Regd. Office: 20th KM, Hosur Road, Electronic City, Bengaluru - 560 100, Karnataka, India. Tel: 91 80 2808 2808, Fax: 91 80 2852 3423 E-mail: co.secretary@biocon.com; Website: www.biocon.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020 read with other relevant circulars including General Circular No. 9/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred as "MCA Circulars") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") (including any statutory modification(s) or reenactment(s) thereof, for the time being in force) and pursuant to other applicable laws and regulations, if any, the Company is seeking approval of the Members by way of Postal Ballot by voting through electronics means (remote e-voting), on the resolutions mentioned in Postal Ballot Notice dated August 21, 2024 and as set out below:

- To approve material related party transaction(s) between Biocon Biologics Limited and Biocon Biologics Global PLC, being direct and indirect subsidiaries of the Company.
- indirect subsidiaries of the Company To approve material related party transaction(s) between Biosimilars Newco Limited and Biocon Biologics Global PLC, being indirect subsidiaries of the Company.

To approve material related party transaction(s) between Biocon Biologics UK Limited and Biocon Biologics Global PLC, being

 To approve material related party transaction(s) between Biosimilar Collaborations Ireland Limited and Biocon Biologics Global PLC, being indirect subsidiaries of the Company.

To approve material related party transaction(s) between Biocon SDN BHD and Biocon Biologics Global PLC, being indirect

- subsidiaries of the Company. To approve material related party transaction(s) between Biocon Biologics Limited and Biosimilars Newco Limited, being direct and indirect subsidiaries of the Company.
- To approve material related party transaction(s) between Biocon Biologics UK Limited and Biosimilars Newco Limited, being indirect subsidiaries of the Company
- To approve material related party transaction(s) between Biosimilar Collaborations Ireland Limited and Biosimilars Newco Limited, being indirect subsidiaries of the Company.
- 9. To approve material related party transaction(s) between Biocon SDN BHD and Biosimilars Newco Limited, being indirect subsidiaries of the Company.
- 10. To approve sale, disposal and leasing of assets exceeding 20% of the assets of material subsidiaries of the Company.

In compliance with MCA Circulars, the Company has completed the despatch of the Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement and Instructions for e-voting on Friday, August 23, 2024 in electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories and whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, August 16, 2024 ("Cut-off date). The communication of assent/dissent by the Members on the items of businesses set out in the Postal Ballot Notice will only take place through remote e-voting system.

The Company has engaged the services of KFin Technologies Limited (KFin Tech), Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company, to provide remote e-voting facility to its Members. The remote e-voting facility is available during the following period: Commencement of remote e-voting Saturday, August 24, 2024 (9:00 AM IST)

Conclusion of remote e-voting Sunday, September 22, 2024 (5:00 PM IST) During the aforesaid period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, August 16, 2024, may cast their votes electronically. Any person who is not a member as on the cut-off date

should treat this Notice for information purposes only. As mentioned above, the remote e-voting shall end on Sunday, September 22, 2024 (5:00 PM) thereafter which the remote e-voting module shall be disabled for e-voting and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a resolution(s) is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be in proportion to their shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Members are requested to follow the procedure as stated in the notes and instructions for casting of votes by e-voting as part of the Postal Ballot Notice.

The Postal Ballot notice is also available on the Company's website at www.biocon.com, website of KFin Tech i.e. www.kfintech.com and on the websites of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited (NSE) i.e. www.nseindia.com and BSE Limited (BSE) i.e. www.bseindia.com.

The Board has appointed Mr. V. Sreedharan (FCS 2347; CP 833) and in his absence Mr. Pradeep B Kulkarni (FCS 7260; CP

7835), Practicing Company Secretaries and Partner of M/s. V. Sreedharan & Associates, Company Secretaries, Bengaluru, ("the Scrutinizers") for conducting the postal ballot and e-voting process in a fair and transparent manner. Any Member who does not receive the Postal Ballot Notice, may obtain the same by sending an email to Mr. Suresh Babu at suresh.d@kfintech.com/evoting@kfintech.com under copy to co.secretary@biocon.com.

The result of the postal ballot shall be declared and communicated to the Stock Exchanges on or before Tuesday, September 24, 2024 and the declared result along with the Scrutinizer's Report will be available on the Company's website i.e. www.biocon.com and on the website of KFin Tech at www.kfintech.com.

For any queries / grievances relating to voting by electronic means, Members are requested to contact Mr. Suresh Babu, Senior Manager, (Unit: Biocon Limited) of KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at einward ris@kfintech.com or evoting@kfintech.com or phone no. 040 – 6716 2222 or call toll free No. 1800-309-4001 for any further clarifications.

Members holding shares in electronic form are requested to register their email IDs and 'choice of nomination' for their demat accounts with their depository participants. In respect of shares held in physical form, Members are requested submit their PAN, full KYC details, register / update their email IDs and Nomination details by submitting duly filled and signed prescribed Form(s) to

> For Biocon Limited Sd/-Mayank Verma

Date: August 24, 2024 Place: Bengaluru

Company Secretary and Compliance Officer Membership No.: ACS 18776

Chandigarh

financialexp.epapr.in

KFin Technologies Limited at the address mentioned above.

Date: August 23, 2024

Place: Mumbai

के मामले में: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और 234 तथा कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियम, 2016 के अन्य लाग् प्रावधानों के तहत याचिका

निम्नलिखित के बीच समामेलन की योजना के मामले में:

पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जो 18 मई, 1998 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित की गई थी और भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जिसका अस्तित्व जारी रखा गया है, जिसका सीआईएन : U67100HR1998PTC113312 है, जिसका पंजीकृत कार्यालय युनिट नंबर 408, चौथी मंजिल, टाइम टॉवर, एमजी रोड, डीएलएफ क्यूई, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत 122002 में है।

...आवेदक कंपनी / हरतांतरिती कंपनी

पाइन लेब्स लिमिटेड, सिंगापुर यूईएन नंबर 201319166R, के साथ शेयरों द्वारा सीमित एक सार्वजनिक कंपनी है. जो सिंगापुर के कंपनी अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत निगमित की गई है और इसका पंजीकृत कार्यालय 38. बीच रोच, नं, 29-11, साउथ बीच टॉवर, सिंगापुर, 189767 में है।

...गैर-आवेदक कंपनी / हस्तांतरणकर्ता कंपनी

उनके संबंधित शैयर धारक फॉर्म नं. सी.ए.ए. 2

आवेदक कंपनी / हस्तांतरिती कंपनी, पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों की बैठकों की सूचना का विज्ञापन

एतदुहारा सूचित किया जाता है कि 12 अगस्त, 2024 के आदेश ("आदेश") द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (**"न्यायाधिकरण"**) की चंडीगढ़ पीठ द्वारा पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (**"हस्तांतरिती कंपनी"**) के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों के बीच विचार करने के उद्देश्य से तथा यदि उचित समझा जाए तो आवेदक कंपनी / हस्तांतरिती कंपनी और पाइन लेब्स लिमिटेड, अर्थात गैर-आवेदक कंपनी / हस्तांतरणकर्ता कंपनी और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 230-232 के साथ पितत धारा 234 और कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियम, 2016, और सिंगापुर के कंपनी अधिनियम 1967 की धारा 212 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, सहित धारा 210 के अनुसरण में ("योजना") संशोधन के साथ या संशोधन के बिना अनुमोदन देने के लिए अलग–अलग वर्चुअल बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

आदेश के पालन में और उसमें दिए गए निर्देशानुसार, आगे की सूचना ("सूचना" या "सूचनाएं") दी जाती है कि 31 दिसंबर, 2023 को हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों की अलग-अलग वर्चुअल बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") ("बैठकें") के माध्यम से आयोजित की जाएंगी, (बैठक के लिए मानद स्थान पाइन लंब्स प्राइवेट लिमिटेड, युनिट नंबर 408, चौथी मंजिल, टाइम टॉवर, एमजी रोड डीएलएफ क्यूई, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत 122002 है) इस प्रकार, आवेदक कंपनी / हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और / या अप्रतिमृत लेनदारों से अनुरोध है कि वे इस समय बैठक में भाग लें, विचार करें, और यदि उपयुक्त हो, तो अधिनियम की धारा 232 (1) के साथ पठित धारा 230 (1) के तहत निर्धारित अपेक्षित बहुमत से योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पारित करें

क्र. सं.	यै ठकें	दिन और दिनांक	समय
1	इक्विटी शेयरधारक	शनिवार, 28 सितंबर, 2024	सुबह 11 वर्ज
2	अप्रतिभूत लेनदार	शनिवार, 28 सितंबर, 2024	सुबह 12 बजे

रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प चुनने वाले इक्विटी शेयरधारक और अप्रतिभूत लेनदारों को केवल बैठकों में शामिल होने और भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन बैठकों के दौरान फिर से वोट करने का अधिकार नहीं होगा।

भाग लेने और वोट करने के अधिकार रखने वाले व्यक्ति, वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली उक्त बैठकों के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा के माध्यम से वोट कर सकते हैं। जो व्यक्ति 31 दिसंबर, 2023 तक शेयरधारक / अप्रतिभूत लेनदार हैं, उन्हें केवल ई-वोटिंग या रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का अधिकार होगा। आवेदक कंपनी / हस्तांतरिती कंपनी ने आवेदक कंपनी / हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों को वीसी के माध्यम से बैठकों में शामिल होने, भाग लेने और ई-वोट करने में सक्षम बनाने के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिन') को नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 24 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे भारतीय मानक समय पर शुरू होगी और 27 सितंबर, 2024 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को केफिन द्वारा वोटिंग के लिए डिसेबल कर दिया जाएगा। इक्विटी शेयरधारक और अप्रतिभूत लेनदार वोटिंग के लिए केवल एक मोड चुन सकते हैं, अर्थात रिमोट ई-वोटिंग या बैठक के दौरान ई-वोटिंग।

योजना की प्रतियां, बैठकों के लिए नोटिस और अधिनियम की धारा 230 (3) के तहत व्याख्यात्मक वक्तव्य और इसमें संदर्भित सभी दस्तावेज केफिन की वेबसाइट (https://emeetings.kfintech.com), और आवेदक कंपनी / हस्तांतरिती कंपनी की वेबसाइट (www.pinelabs.com) पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें हस्तांतरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय यूनिट संख्या ४०८, चौथी मंजिल, टाइम टॉवर, एमजी रोड, डीएलएफ क्यूई, गुरुग्राम, हरियाणा - 122002 और कंपनी के नैगम कार्यालय कैंडोर टेकस्पेस, चौथी और पांचवीं मंजिल, टॉवर-6, प्लॉट संख्या बी-2, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301, भारत में शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुड़ियों को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच बैठकों की तारीख तक और बैठकों में भी निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए. cosecy@pinelabs.com पर विषय "पाइन लेब्स प्राइवेट लिमिटेड - एनसीएलटी द्वारा बुलाई गई बैठक" लिखने के साथ एक ईमेल मेजा जा सकता है।

बैठकों के लिए नोटिस की प्रतियां संलग्न दस्तावेजों के साथ, 23 अगस्त, 2024 को आवेदक कंपनी / हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों को 31 दिसंबर, 2023 तक, उनके अंतिम ज्ञात ई-मेल पतों पर, जो आवेदक कंपनी / हस्तांतरिती कंपनी के पास उपलब्ध हैं, अनुमत तरीकों (अर्थात ईमेल) द्वारा भेजी गई हैं। बैठकों के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के संबंध में निर्देशों के लिए इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा उक्त नोटिस का संदर्भ देखा जा सकता है।

यदि कोई ऐसा इक्विटी शेयरधारक और/या अप्रतिभूत लेनदार है, जिसका ई-मेल पता आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के पास पंजीकृत नहीं है, और वह नोटिस की सोंफ्ट कोंपी (साथ में संलग्न दस्तावेजों सहित) प्राप्त करना चाहता है तो उनसे अनुरोध है कि वे cosecy@pinelabs.com, पर ई-मेल भेजें, साथ ही उन इक्विटी शेयरधारक(कों) या अप्रतिभूत लेनदार(रों) द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, जैसा भी मामला हो, प्रदान करें, जिसमें बैठक की सूचना और बैठक की तिथि तक ई-वोटिंग निर्देश भेजने के लिए ई-मेल पता, मोबाइल नंबर और स्व-सत्यापित पैन प्रति (और भौतिक फोलियों के मामले में इक्विटी शेयरधारक होने पर शेयर प्रमाण पत्र की एक प्रति) प्रदान करें, और आवेदक कंपनी / हस्तांतरिती कंपनी के इन इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों को नोटिस की सॉफ्ट कॉपी (साथ में संलग्न दस्तावेजों सहित) प्रदान की जाएगी।

यदि कोई इक्विटी शेयरघारक और / या अप्रतिमूत लेनदार आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में दस्तावेजों को मौतिक रूप से देखना चाहता है तो संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां ऐसे इक्विटी शेयरधारक / अप्रतिभूत लेनदार को मांग प्राप्त होने के एक दिन के अंदर नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, जिन्हें आवश्यकता हो सकती है। इस उद्देश्य के लिए, cosecy@pinelabs.com पर विषय "पाइन लेब्स प्राइवेट लिमिटेड - एनसीएलटी द्वारा बुलाई गई बैठक" लिखकर एक ईमेल भेजा जा सकता है।

ये बैठकें वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, इसलिए इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदार की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, बैठकों के लिए इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जबकि एक निकाय कॉर्पोरेट जो आवेदक कंपनी/हस्तांतरित कंपनी का इक्विटी शेयरधारक और / या अप्रतिभूत लेनदार है, उसे वीसी के माध्यम से आयोजित बैठकों के दौरान भाग लेने और / या मतदान करने के प्रयोजनों के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है। न्यायाधिकरण द्वारा कथित बैठकों के लिए श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.पी. नागरथ को अध्यक्ष तथा श्री विश्वजीत सिंह, अधिवक्ता को वैकल्पिक

अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायाधिकरण ने सुश्री अर्शदीप कौर जज, कंपनी सचिव को उक्त बैठकों का संवीक्षक नियुक्त किया है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी सहायता या शिकायत के मामले में संबंधित शेयरधारक और/या अप्रतिभूत ऋणदाता केफिन के उप महाप्रबंधक श्री एस.वी. राजू से संपर्क कर सकते हैं, जिनका कार्यालय सेलेनियम, प्लॉट 31 और 32, गाफी बायली वित्तीय जिला, नानकमुडा, हैदराबाद-500 032 पर है, einward.ris@kfintech.com तथा evoting@kfintech.com पर केफिन के टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 पर कॉल करें।

यदि यह योजना बैठक में अनुमोदित हो जाती है तो अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधिकरण द्वारा बाद में दिए गए अनुमोदन के अधीन होगी।

दिनांकः 24 अगस्त, 2024 स्थानः गुरुग्राम

इंद्रेश कुमार गुप्ता निदेशक, पाइन लैब्स प्रा. लि. डीआईएन : 07488823

फोन: 0124-6949200;

ई मेल : cosecy@pinelabs.com; वेबसाइट : www.pinelabs.com

NIIT

एनआईआईटी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं0. 85, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूगम - 122001, हरियाणा CIN: L74899HR1981PLC107123

फोनः +91 (124) 4293000; वेबसाइटः www.nit.com; ईमेलः investors@nit.com 41वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एनजाईआईटी लिमिटेड (''कंपनी''') के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 को दोपहर 2:00 बजे (आईएसटी) पर एजीएम के आयोजन की सुचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए विदियों कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑद्वियों विदियों पद्धति (ओएवीएन) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लाग् प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, मारतीय प्रतिमृति तथा विनिभय बोर्ड ("संबी" (सचीयन नाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साध्य पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 तथा सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. सेबी / एवओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अवद्वर, 2023 (यहां के बाद संयुक्त रूप से "परिपन्न" के रूप में संदर्भित के अनुपालन में होगी जो कंपनियों को आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिन वीसी/ओएवीएम के मध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति देता है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से माग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम, की घारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए

परिपन्नों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल एवं समेकित वितीय विवरणों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न अन्य अपेक्षित दस्तावेज कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से मेजे जाएंगे जिनके ई-मेल पर्ते डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत होंगे। उपरोक्त कथित दस्तायेज कंपनी की वेबसाइट www.niit.com और स्टॉक एक्सबेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी सपलका होंगे।

कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') का उपयोग करके रिमोटली वोट खालने, बीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम की सूचना में बीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में माग लेने की प्रक्रिया / निर्देश, डीमटेरियलाइण्ड मोड में शेवर रखने वाले सदस्यों जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंगशामिल होंगे। विवरण कंपनी की वेबसाइट www.niitmts.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdi.com पर भी उपलब्ध होगा। सदस्यगण जिनके ई- मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिमागी(याँ) के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वह एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन करके अपना लॉगइन क्रेडेशियल्स प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल शेयरधारकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के मध्यम से एजीएम में शामिल होने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से बोट नहीं देते हैं तो एजीएम के दौरान ई-बोटिंग सिस्टम के माध्यम से बोट देने के लिए योग्य होंने।

कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 को या तो मौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ल प्रारूप में शेवर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यगण रिमोट ई-बोटिंग के मध्यम से वोट देने या वीसी / ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने और एजीएम में वोट देने के लिए हकदार होंगे। रिमोट ई-वोटिंग अवधि मुख्तवार, 19 सितम्बर, 2024 (प्रात: 9:00 बजे) प्रारंभ होगी और 23 सितम्बर, 2024 (साय 5:00 बजे) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉबयल हटा लिया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग के मध्यम से सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। यदि रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग दोनों माध्यमों से वोट दिया जाता है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट मान्य होगा और एजीएम में की गई इं-वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

श्री नित्यानंद सिंह, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 2668; सीपी 2388) या उनकी अनुपरिथति में श्री मोहित बंसल, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 11292; सीपी 16860), मैरार्स नित्यानंद सिंह एंड कंपनी को ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्यगण जो एजीएम के दौरान अपनी राय रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से अपना नाम, डिमेट खाता नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर वर्णित करते हुए अनुरोध पत्र कंपनी के पास investors@nit.com पर मेंजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्पीकर रजिस्ट्रेशन मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 तक खुला रहेगा। कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करने वाले सदस्यगण पंजीकरण एवं एजीएम में शामिल होने के लिए योग्य होंगे जो भी सदस्यगण कोई भी पुछताछ या जानकारी बाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम से न्यूनतम 7 दिन पहले कंपनी को investors@nit.com पर ईमेल लिखकर मेजें।

केवाईसी/ई-मेस पता/बैंक विवरण पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रियाः

भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए भारतीय प्रतिभृति और विनिमव बोर्ड ('सेबी') ने अपने मास्टर परिपन्न सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / पीओडी-1 / पी / सीआईआर / 2023 / 70 दनाक 17 गई, 2023, समय-समय पर यथासशाधित के मध्यम से आधार से जुड पन, कवाईसी विवरण (अर्थात्, पिन कोड के साथ डाक पता, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण इत्यादि) और प्रतिभृतियों के धारकों द्वारा नामांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकें अलावा, 1 अप्रैल, 2024 से लाभांश का कोई भी भूगतान केवल भौतिक शेयरधारकों के संबंध मे इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाएगा। वे भौतिक शेयरधारक जिनका केवाईसी आरटीए / कंपनी रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है. उनके लागांश का भगतान फिजिकल फोलियों में केवाईसी अपडेट होने पर ही

जिन सदस्यों के पास ढीमैट प्रारूप में शेयर हैं उन्हें लाभाश के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए अपने बैंक विवरण, ई-मेल पता, डाक पता, संपर्क नंबर और नामांकन विवरण अपने ढिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने डीमैट खाते में अपडेट रखना चाहिए।

इसके अलावा, सेबी ने आवेश दिया है कि सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिमृतियों को केवल ठीमैट प्रारूप में ही स्थानांतरित किया जा सकता है। डीमटेरियलाइजेशन के विभिन्न लामों का लाग उठाने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टफोलियों प्रबंधन और लामांश मुगतान में आसानी के लिए अपने पास मौजूद शेयरों को भौतिक रूप में डीमटेरियलाइज करें।

सदस्य आरटीए / या कंपनी की वेबसाइट पर अपेक्षित फॉर्म / दस्तावेज मेजने के लिए सेबी मास्टर सर्कृतर, प्रासंगिक निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म, केवाईसी फॉर्म और संपर्क विवरण देख सकते हैं लामांश / स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) / विदहोल्डिंग टैक्स पर जानकारी:

निदेशक मंदल ने 24 गई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वितीय वर्ष 2023-24 के लिए रु. 0.75 / - प्रति इविवटी शेयर अंतिन लागांश की सिफारिश की हैं। एजीएन में मंजूरी मिलने के बाद लामांश का भूगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम बृहस्पतिवार, 5 सितंबर, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर या शेयरों के लागार्थी स्वामियों के रूप में डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शामिल होंगे। अतिम लामांश एजीएम में सदस्यों की मंजूरी के अधीन उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर भूगतान (खोत पर कर की कटौती के बाद) किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। जिन शेयरघारकों ने ढीमैट खाते में अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट / डिमांड ड्राट/चेक मेजे जाएंगे। लामांश प्राप्त करने में देशी से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सीधे अपने बैंक खाते में लामांश प्राप्त करने के लिए फोलियो नंबर के साथ इस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, स्व-सत्यापित रद चेक और पैन की प्रति के साथ अपने ढिपॉजिटरी (जहां शेयर ढीमैट मोड में रखे जाते हैं) के साथ अपने संपूर्ण बैंक विवरण अपडेट करें और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट - अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (जहां शेयर मीतिक रूप में रखे जाते हैं) के साध

शेयरधारक ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') में अधिदेश दिया गया है कि 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा भूगतान या वितरित लाभांश शेयरघारकों के पक्ष में कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को अंतिम लामांश का भूवतान करते समय ग्रांत पर कर कटौती ('टीडीएस') काटने की आवश्यकता होगी। हमें लागू उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए शेयरधारकों से आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया

रेजीडेंट शेवरधारकों के लिए, अधिनियम की घारा 194 के तहत स्रोत पर कर कटौती निम्नानुसार

वैध स्थायी लेखा संख्या (पैन) वाले शेयरधारक 10 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसृचित ऐसे शेयरघारक जिनके पास पैन/वैध पैन नहीं है 20 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसुचित हालाँकि, रेजीडेंट व्यक्तिगत शेयरधारकों को देय लागांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उन्हें प्राप्त होने वाला कुल लग्गांश रू. 5,000/- से अधिक नहीं है और ऐसे मामलों में भी जहां शेयरधारक आईटी अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एव (फॉर्म 15एव 60 वर्ष या अधिक आयु के रेजीडेंट व्यक्तिगत शेयरघारकों के लिए

लागू है) प्रदान करते हैं। रंजीडेंट शेयरघारक कम/शून्य कर कटौती का दावा करने के लिए आईटी

अधिनियम के तहत निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। फोंर्म 15जी / 15एव या

ऊपर स्टिलिखित कोई अन्य दस्तावेज प्रदान करने वाले शेयरघारकों के लिए पैन अनिवार्य है। नॉन-रेजीडेंट शेयरपारकों के लिए धारा 195 के प्रावधानों और आईटी अधिनियम की अन्य लागू धाराओं के अनुसार लागू दरों पर कर विदहेल्ड करना आवश्यक है। देय लागांश राशि पर विदहोव्डिंग टैक्स 20 प्रतिशत दर (साथ ही लागू अधिमार और उपकर) या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार होगा। हालाँकि, आईटी अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, नॉन-रेजीडेंट शेयरपारकों के पास भारत और शेयरपारक(कों) का टैक्स रेजीडेंस, यदि वे उनके लिए अधिक लागदायक हैं, देश के बीच बहपक्षीय साधन ('एमएलआई') के साथ पढ़े जाने वाले दोहरे कर बचाव समझौते ('डीटीएए') के प्राक्वानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। इस उद्देश्य के लिए एमएलआई के साथ पठित डीटीए के तहत लाग प्राप्त करने के लिए नॉन-रेजीडेंट शेयरधारकों को निम्नलिखित

भारतीय आयकर प्राधिकारियों द्वारा आवंटित पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति: जिस देश का शेयरधारक निवासी है उस देश के कर प्राधिकारियों से प्राप्त वित्त वर्ष 2024-25

के लिए टैक्स रेजिडेंसी प्रमाणपत्र की रव-सत्वापित प्रति. भारतीय आयकर पोर्टल पर विधिवत मरे गए फॉर्म 10एफ की प्रति। इस फॉर्म को नीचे दिए गए

लिंक के माध्यम से पंजीकरण करके भारतीय आयकर पोर्टल पर दाखिल करना होगा; https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/register

गॉन-रेजीडेंट से स्व-घोषणा, मुख्य रूप से निम्नलिखित को शमिल करती है:

नॉन-रैजीडेंट संबंधित कर संधि के लाभ का दावा करने के लिए पात्र है; लागांश जाय प्राप्त करने वाला नॉन-रेजीढेंट ऐसी आय का लाभकारी स्वामी है;

लामांश आय भारत में किसी भी स्थायी प्रतिष्ठान ('पीई') या निश्चित आधार से संबंधित / प्रभावी

नॉन-रेजीडेंट प्रासंगिक कर संधि और एमएलआई के तहत प्राक्यानों में निर्धारित किसी भी अन्य शर्त का अनुपालन करता है:

नॉन-रेजीडेंट के पास भारत में प्रभावी प्रबंधन का स्थान नहीं है; विदेशी संस्थागत निवेशकों / विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों के मामले में आईटी अधिनियम की धारा 196डी कें तहत उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करने के अधीन 20 प्रतिशत (साथ ही लाग् अधिमार और उपकर) या एमएलआई के साथ पठित प्रासंगिक ढीटीएए में प्रदान की गई दर, जो भी अधिक लाभकारी हो, के तहत कर काटा जाएगा।

यह सूचना परिपन्नों के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों की जानकारी और हितलाम के लिए जारी की जा रही है।

स्थानः गुरूग्राम

दिनांकः 23 अगस्त, 2024

बोर्ड के आदेश से कृते एनआईआईटी लिमिटेड EFRIT./-अर्पिता बिसारिया मल्होत्रा कंपनी सविव

यह आम जनता और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (फिनकेयर यूनिट) के ग्राहकों को सूचित करने के लिए है कि निम्नलिखित शाखा का पता बदल दिया जाएगा। शाखा में वर्तमान में रखे गए सभी खाते / लेनदेन वही रहेंगे। स्थान के पुराने बनाम नए पते का विवरण और परिवर्तन की प्रभावी तिथि अनुलग्नक–ए के रूप में नोटिस के साथ संलग्न है। ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपने लेन–देन के लिए शाखा प्रबंधक से संपर्क करें / नए स्थान पर जाएँ।

शाखा के पते में परिवर्तन के लिए सार्वजनिक सूचना

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें या निम्नलिखित शाखा के शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। शाखा प्रबंधक का संपर्क नंबर इस नोटिस के साथ संलग्न अनुलग्नक–ए में दिया गया है। **एयू स्मॉल** फाइनेंस बैंक लिमिटेड (फिनकेयर यूनिट)।

'अन्लग्नक–ए"

शाखा कोड	शाखा का नाम	राज्यढ	पता बदलने की प्रभावी तिथि	पुराने पते (फिनकेयर यूनिट)	नया शाखा कोड	एयू शाखा - स्थान	राज्यढ	एयू शाखा का पता	एयू शाखा प्रबंधक संपर्क नंबर
10946	भटिंडा	पंजाब	23-09-24	यूआईडी संख्या. MCB-Z3-01037-000, जिला परिषद के सामने, हनुमान चौक के पास, जीटी रोड, भटिंडा, पंजाब-151001	2398	गुराक्षी मार्ग भटिंडा	पंजाब	एमसीबीजेड3/00908, गाउंड फ्लोर, सेठी पेट्रोल पंप के विपरीत गोनियाना - बर्विडा जीटी रोड (हनुमान चौक से पुखराज सिनेमा के बीच), भटिंडा, पंजाब-151001	

इण्डियन ओवरसीज् बैंक स्टेडियम रोड (2365) शाखा, पी-5/15, स्टेडियम रोड,

क्षेत्रीय कार्यालयः बीएसएनएल कार्यालय के पास, तेजगढ़ी चौराहा, मेरठ -250005

डी.डी. पुरम, बरेली-243001 कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुस्पेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकत अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायें गयें खाते मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर और ब्याज, वसूली आदि पर ब्याज सहित अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा 22,08,2024 को ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन समान्य को समान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति। सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन-देन न करे। इन सम्पत्ति। सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओक्टसीज बैंक, को देय राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भगतान की तारीखा, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज , शुल्क आदि , भूगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं और बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (६) के प्रावधानों के लिए अमंत्रित किया जाता है. जो उनके लिए उपलब्ध समय के

श्री अजय कपूर पुत्र	णी / बंधककर्ता व रन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कल्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
को—ऑप-हाउसिंग मीटर, सीमायें:-पूर्व राजीव पंडित का मकान, दिनांक 28.02.2023 सोसाइटी, लिंक रोड, पश्चिम: 20 फीट चोड़ा रास्ता, उत्तर: अयाज अहमद तक + अगामी व्याज	नाथ कपूर निवासी— (/10वां पलैट 1001	\$40 मिन, 641 मिन बिहार मान नगला, तहसील, परेली, यू.पी.—243001, स्वामित्व श्री अजय कपूर,	मांग नोटिस के अनुसार बकावा राशि		क 22,23,428.58 • अगामी व्याज + अन्य शुल्क
मुंबई, महाराष्ट्र—400095 का प्लॉट, दक्षिण: किरण बन्ना का मकान । + अन्य शुल्क	-ऑप-हाउसिंग साइटी, लिंक रोड,	र्गेटर, सीमायें :-पूर्वः राजीव पंडित का मकान,	दिनांक 28.02.2023		म जम्प सुद्ध

हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः नियर इंडस्ट्रियल डेवलपर्नेट कॉलोनी विल्ली रोड, हिसार – 125 005 (हरियाणा) ई-मेलः vchugh@hisarmetal.com; फोनः (01662) 220067, 220367, 220738 फैक्सः (01662) 220265 सीखाईएनः L74899HR1990PLC030937

34वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-मतदान की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, हिसार (हरियाणा) में 34वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यवाही निस्तारण हेत् आयोजित की जाएगी।

कंपनी के एजीएम की सूचना और वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ पंजीकृत हैं और गाँतिक प्रतियां उन सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ यह पत्राचार एवं सूचना निम्नलिखित वेबसाइट www.hisarmetal.com और http://evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं। सदस्यों को रिगोट ई-मतदान से सबंधित जानकारी के साथ-साथ, यूजर आईडी एवं पासवर्ड मेज दिया गया है।

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, के अनुसार, संशोधित तथा रोबी (स्चियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतार्थे) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 कंपनी अपने सदस्यों को बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट) द्वारा मताधिकार की सुविधा प्रदान करने में खुशी अनुभव कर रही है। कंपनी द्वारा रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को अधिकृत एजेंसी नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-मतदान का विवरण निम्नानुसार है:

- रिमोट ई-मतदान प्रारंभ होने की तिथि एवं समय: 17 सितंबर, 2024 (प्रात: 9:00 बजे)
- रिमोट ई-मतदान समाप्त होने की लिथि एवं समयः 19 सितंबर, 2024 (सायं 5:00 बजे)
- रिमोट ई-मतदान की अनुमति 19 सितंबर, 2024 (सार्य 5:00 बजे) के बाद नहीं दी जाएगी।
- जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि यानी 13 सितंबर, 2024 के अनुसार कंपनी के रजिस्टर/ लाभार्थी स्वामियों के तौर पर दर्ज है वह ही रिमोद ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ बैठक में मतदान करने के अधिकारी है।
- वह व्यक्ति, जो बैठक की जानकारी भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार वह शेयरघारक है वह बैठक सूचना के अनुसार विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करके यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता हैं, यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट एवं एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध रहेगी तथा रिमोट ई-मतदान से अपना मत न देने वाले एजीएम में उपस्थित सदस्य एजीएम में अपना मतदान दे सकेंगे।
- रिमोट ई-मतदान से अपना मत दे चुके सदस्य बैठक में उपस्थित रह सकते है लेकिन बैठक में अपने मत का पूनः उपयोग नहीं रिगोट ई-मतदान से संबंधित किसी पूछतांछ हेतू, सदस्य/लामार्थी स्वामी निम्नलिखित पर्ते पर संपर्क कर सकते हैं :
- श्री नरेंद्र देव, प्रबंधक नेशनल सिक्योरिटीज ढिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेंड वर्ल्ड 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, फोन नं. 022-48867000; ई-मेल: evoting@nsdl.com । सदस्थगण कंपनी सचिव को ई-मेलः vchugh@hisarmetal.com पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी लिख सकते हैं।

कंपनीज अधिनियम, 2013 की घारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेंबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित किया गया लामांश, यदि कथित एजीएम में घोषित किया जाता है, के भुगतान के लिए योग्यता के निर्धारण हेत् कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक मंगलवार, 10 सितम्बर, 2024 से शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

कते हिसार मेटल इंडस्टीज लिमिटेड (विशेष कुमार चुघ) कंपनी समिव व अनुपालन अधिकारी

30-सितम्बर - 2024 1100 बजे-1300 बजे

स्थान : हिसार (हरियाणा)

कर्जनाव(वो) /बार मंग सम्मा तिथि और गणि

24-सितम्बर - 2024 1100 बजे-1400 बजे

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना ुरूग्राम—122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालयः 'यूनिट नंबर 309, तीसरी मंजिल, पदम बिजनेस पार्क, सेक्टर 12 ए, आवास विकास सिकंदरा योजना, आगरा—282007" / ऑफिस नंबर 1, पहर्ल मंजिल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, प्लॉट नंबर सी —1, सेक्टर — 4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201010'' ँ के पास बंघक अचल सम्पत्ति की बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और नरनिर्माण तथा प्रतिमूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(इसमें आगे"अधिनियम"कहा गया है) के तहत जबकि आईआईएफएल— एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने निम्नलिखित ऋष खातों / प्रॉरपेक्टर नंबर्स में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित सम्पत्ति / सम्पत्तियों का कब्जा उनको आईआईएफएल– एचएफएल की बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसी हैजह है एवं जैसी है जो है आधार" पर बेचने के अधिकार सहित प्राप्त कर लिया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाइट :www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई—नीलामी प्लेटफाम

कजदार(आ) / सह— कर्जदार(ओ) /	मग सूचना तिथि आर शारा	अचल सन्पाता / प्रातमूत आस्ति का वर्णन	भारतक कब्ज का तिथ	₹. 15,49,000 / -	
गारंटर(ओ) 1. श्री पवन कुमार, 2. श्री हरिओम कुमार 3. श्रीमती उषा (प्रॉस्पेक्ट नंबर 943710 एवं 948808)	20—अक्टूबर—2022 एवं रु.17,22,601/— (रु. सत्रह लाख बाईस हजार छह सौ एक मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/—	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें मकान संख्या 133 डी, भूमि क्षेत्रफल 630 वर्ग फीट, (प्लॉट संख्या 133 और 147), खसरा संख्या 255, शिव पुरम 2, ग्राम डासना एन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201302 में से है। (क्षेत्रफल 472 वर्ग फीट)	दिनांक 07 —अगस्त —2024 तक कल बकाया	(पंद्रह लाख उन्चालीस हजार रुपए मात्र) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रु.1,54,900 / — (एक लाख चौवन हजार नौ र रुपये मात्र)	
1. श्री नागेन्द्र कुमार सविता 2. श्रीमती नीलम शर्मा 3. अमर फूड प्रोडक्ट्स (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10359224)	(पच्चीस हजार रूपये मात्र) 09-मई-2024 रु. 17,87,796 / - (सत्रह लाख सतासी हजार सात सौ छियानवे रूपये मात्र)	संपत्ति का वह हिस्सा जिसमें मकान नंबर 112, टाइप-बी, प्लॉट नंबर बी-57, खसरा नंबर 28-41, 822 पर बना है, मौजा बाइपुरबांके, गणपति सिटी, तहसील और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत, 282001 में स्थित है। क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में); संपत्ति का प्रकार: भूमि – क्षेत्रफल, निर्मित – क्षेत्रफल, कारपेट – क्षेत्रफल, क्षेत्	दिनांक 07 —अगस्त —2024 तक कुल बकाया रु. 18,55,807 / — (अठारह लाख पचपन हजार	रु.12,24,000/— (केवल बारह लाख चौबीस हजार रुपये) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,22,400/— (रु. एक लाख बाईस हजार चा	
	रु. 25,000 / — (पच्चीस हजार रूपये मात्र) सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	450.00, 382.50, 337.00 ईएमडी अंतिम तिथि		सौ मात्र)	

सुगतान की विधि : ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन विधि से करने होंगे। भुगतान करने के लिए आप https://www.iiflonehome.com पर जाएं और केवल सम्पत्ति / प्रतिभ आस्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करें। नोट : हर सम्पत्ति के लिए एक अलग भुगतान लिंक है। आप सुनिश्चित करें कि आप उस सम्पत्ति / प्रतिभूत आस्ति का लिंक उपयोग कर रहे हैं, जिसको आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। शेष राशि भुगतान के लिए — https://www.iiflonehome.com >My Bid >Pay Balance Amount. लॉगिन करें

26-सितम्बर - 2024 2024 अप. 5 बजे तक

ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना विवरण सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com के पास पर्याप्त अग्रिम में पंजीकृत करवाना होगा तथा लॉगइन खाता

- लॉगइन आई डी और पासवर्ड सुजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना निविदा फार्म ईएमडी के मुगतान विवरण, केवाईसी तथा पैनकार्ड की प्रति के साथ उपरि वर्णित शाख कार्यालय में जमा / प्रेषित करना होगा। बोलीदाता अपनी ऑफर कालम" बोलीवृद्धि राशि" में वर्णित राशि के गुणजों में बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने से 5 मिनट पहले कोई बिड आने पर समाप्ति का समय स्वतः 5 मिन
- सफल बोलीदाता को बोलीराशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी समायोजन के बाद) एओ द्वारा बोलीमुल्य स्वीकार करने के 24 घंटे के भीतर और बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी सभी जमा और भूगतान निर्धारित विधि से करने होंगे। खरीदार को सम्पत्ति के साथ संबंधित उपकर, लागूस्टाम्प ड्यूटी, फीस तथा अन्य कानूनी बकाया अथवा अन्य बकाया जैसे कि म्युनिसिपलकर, बिजली प्रभार, भूमि तथा अन्य सभी अनुषंगी
- लागतें, प्रभार सभी करों तथा उपकरों सहित वहन करने होंगे। क्रेता को बिक्री राशि के लेनदेनभुगतान पर टीडीएस आवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा बोलीदाताओं कोई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्ती तथा आवेदन प्रपत्र के लिए वेबसाइट
- https://www.iiflonehome.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने की सलाह दी जाती है। विस्तृत विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई–नीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवाप्रदाता की ई–मेल आईडी : care@iiflonehome.com, सपोर्ट हेल्पलाइननंबर
- किसी सम्पत्ति विवरण, सम्पत्ति निरीक्षण और ऑनलाइन बिंड इत्यादि के संबंध में पूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल टोल फ्रीनंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार व बीच 09.30 बजे से 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई-मेल : care@iiflonehome.com, को मेल लिखें। एतदुद्वारा उपरोक्त कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि भौतिक कब्जा लेते समय प्रतिभृत आस्ति में रखी घरेलू वस्तुएं 7 दिन के भीतर हटा लें, अन्यथा आईआईएफएल एचएफएल परिस्थितियो
- के अधीन सम्पत्ति की किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। एतद्द्वारा कर्जदारों को आगे सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वस्तुएं प्राप्त कर ने में चूक की स्थिति में उनको विधि सम्मतढंग से बेचा जाएगा। . सफल बोलीदाता / नीलामी खशैदार द्वारा किसी भी चरण में निर्धारित समय के भीतर भुँगतान में चूक की स्थिति में बिक्री रदद कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशि (ईएमडी
- सहित) जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति की बिक्री दोबारा की जाएगी। . एओ का बिना कोई कारण बताए निविदा ⁄ नीलामी स्थगित ⁄ निरस्त करने या नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा ⁄ नीलामी के संबंध में किसी भी विवाद की
- रिथिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम माना जाए सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

कर्जदार को अधिसूचित किया जाता है कि उपरि वर्णित राशि अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चों के साथ निविदा/नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति बेची/नीलाम की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

स्थान : दिल्ली , तिथि : 24 अगस्त 2024 हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड

प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में ग्रोय सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) निरलोन नॉलेज पार्क (एनकेपी) बी-2, सातवीं मंजिल, पहाड़ी गांव, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सार्वजनिक

कामा इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगांव (ई), मुंबई, महाराष्ट्र- 400063

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३(१) के तहत) वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और प्नर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की सेवा प्रतिस्थापित

जैसा कि नीचे बताया गया है, उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि चूंकि उन्होंने **प्रोटियम फाइलेंस लिमिटेड** (जिसे पहले ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल

टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और उससे पहले ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) से प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है। उनकी ऋण क्रेडिट सुविधा को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी की पुस्तकों में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, एनबीएफसी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत नीचे उल्लिखित संबंधित उधारकर्ताओं को उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पते पर मांग नोटिस जारी किया है, जिससे उन्हें बलाया जा सके। उनसे मांग की गई है कि वे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संबंधित नोटिस / नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित डिमांड नोटिस / नोटिस में उल्लिखित राशि का भूगतान करें, साथ ही नीचे उल्लिखित राशि और आकस्मिक खर्चों पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज भी दें। लागत, शुल्क आदि जैसा कि उक्त मांग नोटिस में बताया गया है। हालाँकि, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी) नियम) के नियम 3 के अनुसार इस प्रकाशन के माध्यम से भी हमारे द्वारा सेवा की जा रही है।

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता/कों का नाम और पता	ऋण खाता संख्या	एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख	नीचे दी गई तारीख तक कुल बकाया राशि (आईएनआर)'
1.आरपी ट्रेडर्स (उधारकर्ता)	GS051E	31-07-24	14 अगस्त	₹. 3052696.4/-
2.पंकज, 3. अनु कश्यप संगीता (सह—उधारकर्ता)	EL1714		2024	(रुपये तीस लाख
112 खाटू श्याम कॉम्प्लेक्स पूर्व खसरा नंबर 510, चिपियाना, गौतमबुद्धनगर, यूपी 201009	602			बावन हजार छः सौ छियानवे और चालीस
इसके अलावा: — मकान नंबर 58, खसरा नंबर 1133, ग्राम पुरानी आबादी, छपरौला,				पैसे मात्र)
गौतमबुद्ध नगर, यूपी–201009 इसके अलावा:– दुकान नंबर 112, खसरा नंबर 510, खाटू				03 अगस्त 2024
श्याम कॉम्प्लेक्स, ग्राम–छिपयाना बुजुर्ग, गौतमबुद्ध नगर, यूपी–201009 इसके अलावाः –				तक
छापुरला गौतमबुद्ध नगर ,गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201009				

सुरक्षित संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण:- 1. मकान नंबर 58, खसरा नंबर 1133, गांव पुरानी आबादी, छपरौला, गौतम बुद्ध नगर, यूपी— 201009, क्षेत्रफल (120 वर्ग गज/100.33 वर्ग मीटर) और 2. दुकान नंबर 112, खसरा नंबर 510, खाटू श्याम कॉम्प्लेक्स, गांव – छिपयाना बुजुर्ग, गौतम बुद्ध नगर,

यूपी-201009, **क्षेत्रफल - (120 वर्ग गज/12.63 वर्ग मीटर)**

दिनांकः 24.08.2024

स्थानः गौतमबुद्ध नगर,

बिक्री के लिए प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

हम यहां उल्लिखित उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें भुगतान करने के लिए कहते हैं, जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से बताई गई बकाया राशि, साथ ही उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क, खर्च आदि भी शामिल है। हम उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति / अचल संपत्ति के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे और लागू नियम सुरक्षित संपत्ति को पूरी तरह से कब्जा लेने और बेचने तक ही सीमित नहीं हैं। आपकी अपनी लागत और परिणामों पर उक्त उधारकर्ता(ओं)/सह—उधारकर्ता(ओं)/कानूनी वारिस(ओं)/कानूनी प्रतिनिधियों(ओं) का जोखिम।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और / या इस

संबंध में किसी अन्य कानुनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनुसार, यदि **प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड** की बकाया राशि, **प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड** द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ, तिथि से पहले किसी भी समय प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड को प्रस्तुत की जाती है। बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित, सुरक्षित संपत्ति को **प्रोटियम फाइजेंस लिमिटेड** द्वारा बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, और उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या

> प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के लिए प्राधिकृत अधिकारी,

www.readwhere.com